न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 23/2017 दिनांक : 15.06.2017

1. रामेश्वर पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी धनियासर तहसील पल्लू।

– अपीलांट

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी धनियासर उप तहसील पल्लू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतसर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार पल्लू।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.05.2016
नामान्तरण संख्या 784 निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री महेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, अपीलांट
श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता, रेस्पो.

निर्णय **दिनांकः– 09.11.2017**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. यह कि रोही मौजा धणियासर के खसरा नंबर 241 की 8 बिघा 1 बिस्वा खसरा नंबर 279/242 की 9 बीघा 1 बिस्वा कुल तादादी 16 बिघा 2 बिस्वा भूमि नोपाराम तुलछाराम पुत्र लिछमणराम के नाम से खातेदारी कृषि भूमि थी , जो नोपाराम की मृत्यु होने के पश्चात रूपाराम पुत्र नोपाराम के नाम भूमि दर्ज हुई रूपाराम की फर्जी वसीयत नोपाराम ने इसलिए उसके नाम इंतकाल दर्ज हुई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जबकि नोपाराम के अपीलांट व रूपाराम दो लडके थे किन्तु रूपाराम के पक्ष में नोपाराम ने वसीयत करवादी थी इसलिए उसेके नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ।

2. यह कि तुलछाराम की मृत्यु के पश्चात उसने अपना हक व हिस्सा की वसीयत इस खाता की भूमि की भी अपीलांट के पक्ष में वसीयत करवा दी थी जिसका इंतकाल दर्ज किया जाना था, पत्रावली भी पेश कर दी थी। रेस्पो. नंबर 3 द्वारा वसीयत का इंतकाल दर्ज न कर राजकीय रिकार्ड में हुई गलती का फायदा रेस्पो. संख्या 1 को देते हुए मद संख्या 1 में अंकित भूमि अकेले के नाम दर्ज कर गलत व विधि विरूद्ध दान पत्र जो जन्मजात शुन्य था के आधार पर इंतकाल 784 दर्ज किया जो निम्न आधारों पर अपील योग्य है :–

(क) यह कि मातहत अदालत का निर्णय विधि विरूद्ध व स्वैच्छाचारितापूर्ण है जो न्यायिक निर्णय की परिभाषा कमें नही आता है।

(ख) यह कि मातहत अदालत द्वारा नोपाराम व तुलछाराम के खाते की भूमि को जिसका वर्णन मद संख्या 1 में अंकित है एक मानते हुए रूपाराम के नाम दर्ज कर दी जो विधि विरूद्ध व बिना किसी आदेश के दर्ज हुआ। जिसके कारण दान पत्र गलत तहरीर व तस्दीक किया गया। ऐसी सूरत में रेस्पो. नं. 2–3 ने बिना जांच किये व बिना सुनवाई के एक पक्षीय तौर पर पारित किया जो अपास्त योग्य है।

(ग) यह कि रेस्पो. नबर 2–3 को राजस्व रिकार्ड का अवलोकन का मौका व रिकार्ड की जांच किये बिना अपीलकन आदेश दिया है जो अपास्त योग्य है।

(घ) यह कि रोही मौजा धणीयासर के खसरा नंबर 241 की 8 बीघा अर्थात 2. 0370 है0 व खसरा नंबर 379/342 की 8 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.0370 है. भूमि का इंतकाल दर्ज करने से पुर्व रिकार्ड की जांच करनी चाहिए थी कि भूमि नोपाराम व तुलछाराम के नाम से है तुलछाराम का वारिस कौन है उसके पश्चात ही दान–पत्र का इंतकाल दर्ज करना चाहिए था। चुंकि पूर्व में भूमि संयुक्त खाता की थी और बिना विभाजन किये विशेष भाग का दान पत्र नही लिखा जा सकता। ऐसी सूरत में दान पत्र शुन्य है और अपीलांट के नाम वसीयत के आधार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पर खसरा नंबर 241 की 2.370 है0 व खसरा नंबर 379/342 की 2.370 है0 के रूपाराम वल्द नोपाराम किया जा सकता है और वो भी संयुक्त खाता की ब.हि.ब. दर्ज हो सकता था इसलिए मातहत अदालत का व अपीलकन आदेश अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2016 का है जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान नही था जमाबंदी की नकल लाने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायाल का आदेश दिनांक 11.05.2016 इंतकाल संख्या 784 रोही मौजा धणियासर खारिज फरमावें व पुर्व की स्थिति अनुसार रूपाराम पुत्र नोपाराम व तुलछा पुत्र लिछमणराम जाट धणियसार का नाम दर्ज कर तुलछाराम का नाम कमलजन कर वसीयत के वारिस रामेश्वर पुत्र नोपाराम का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा धणीयासर के खसरा नंबर 241 की 8 बीघा 1 बिस्वा खसरा नंबर 279/242 की 8 बीघा 1 बिस्वा कुल तादादी कुल 16 बीघा 2 बिस्वा भूमि नोपाराम, तुलछाराम पुत्र लिछमणराम के नाम से सयुंक्त रूप से दर्ज खातेदारी भूमि थी। नोपाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल नं. 513 दर्ज किया जिसके अनुसार रूपाराम पुत्र नोपाराम 1/2 हिस्सा व तुलछाराम पुत्र लिछमण राम 1/2 हिस्सा दर्ज होनी थी परन्तु रूपाराम के खाते में बिना किसी आदेश व बिना इंतकाल के ही दोनों खसरों की भूमि अकेले रूपाराम के नाम अन्य खसरों के साथ दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि नोपराम व तुलछाराम दोनो की थी। तुलछाराम ने अपनी हिस्से की भूमि की वसीयत रामेश्वर के हिस्से में कर दी किन्तु इंतकाल नोपराम के खाते में दर्ज होने के कारण समस्त भूमि रूपाराम के नाम दर्ज रही। वसीयत का इंतकाल दर्ज कराने हेतु अपीलांट ने कार्यवाही की तो रेस्पो. संख्या 3 ने राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

फायदा रेस्पो. संख्या 1 को देते हुए मद सख्या 1 में दर्ज भूमि कृष्ण कुमार अकेले के नाम से दर्ज कर दी। जबकि उक्त भूमि तुलछाराम व रूपाराम के नाम से 1/2–1/2 दर्ज होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो रिकार्ड की जांच की ना ही तुलछाराम के वारिस की जांच की, बिना जांच के ही एक दान पत्र जो रूपाराम ने रेस्पो. सं. 1 के नाम तस्दीक करवाया था के आधार पर कृष्ण कुमार का नाम दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट के नाम वसीयत के आधार पर खसरा नंबर 241 की 2.370 है0 भूमि व रूपाराम के नाम खसरा नंबर 379/342 की 2.370 है. भूमि रूपाराम पुत्र नोपाराम व रामेश्वर पुत्र नोपाराम के नाम ब हि ब दर्ज करनी चाहिए थी परन्तु रूपाराम के खाते में बिना किसी आदेश के व बिना किसी इंतकाल दर्ज किये दोनों खसरों की भूमि रूपाराम के खाता संख्या 238/227 में अन्य खसरों के साथ दर्ज कर दी जबकि खसरा नंबर 241 व 379/242 की 16 बिघा 2 बिस्वा भूमि नोपाराम व तुलछारमा दोनो की थी। इसलिए दानपत्र 8 बीघा 1 बिस्वा का गलत है। सही इन्द्राज होने के उपरांत ही दान पत्र का इंतकाल दर्ज हो सकता था इसलिए इंतकाल संख्या 784 दिनांक 11.05.2016 खारिज कर रोही मौजा धणियासर के खसरा नंबर 241 की 2.370 है0 व खसरा नंबर 379/372 की 2.370 है. भूमि रूपाराम पुत्र नोपाराम व तुलछाराम पुत्र लिछमण राम जाट निवासी धणियासर के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें उसके बाद तुलछाराम का नाम कलमजन कर उसके वसियती वारिस रामेश्वर के नाम से दर्ज होने के उपरांत संयुक्त रूप से अपीलांट का नाम दर्ज करके दान पत्र का इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुझ रेस्पो. को जरिये दान पत्र उक्त भूमि प्राप्त हुई है व दान पत्र रूपाराम ने अपने नाम से दर्ज खातेदारी भूमि का करवाया है जो पंजीयन विभाग से पंजीबद्ध भी है इसलिए रेस्पो. को प्राप्त भूमि विधि सम्मत तरीके से प्राप्त हुई है व उक्त भूमि पर उसकी कब्जा काश्त भी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो इंतकाल तस्दीक किया गया है वह एक रजिस्टर्ड दान पत्र का तस्दीक किया गया है व दान पत्र एक खातेदार ने अपनी खातेदारी भूमि का करवाया है जिसे करवाने के लिए वह सक्षम है। बिना रजिस्टर्ड दान पत्र को शुन्य घोषित करवाये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उसके इंतकाल को खारिज नही किया जा सकता तथा अपीलांट दान पत्र के इंतकाल की अपील करने के लिए पात्र ही नही था ना ही उसने न्यायालय से अपील करने हेतु स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दफा 96 का प्रार्थना पत्र पेश किया। बिना किसी विधिक अधिकार के प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार नही किया जा सकता। ***वकील रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में कानूनी नजीर आरआरटी 2014–2015 पेज 467 जिसके अनुसार राजस्थान भू अधिनियम 1956 धारा 135 व 84 रजिस्टर्ड बक्खशीशनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश विधि विरूद्ध नही है। आरआरटी 2012 पेज नं. 238 जिसमें स्पष्ट किया गया है किसी सिविल न्यायालय द्वारा दान अभिलेख को शुन्य अथवा अप्रभावी घोषित नही किया गया। तहसीलदार द्वारा इंतकाल तस्दीक किया गया। उक्त आदेश कोई कानूनी त्रुटी नही है। आरबीजे 2003 पेज संख्या 305, आरबीजे 2013 पेज संख्या 1, आरबीजे 2002 पेज सं. 290, आरबीजे 2007 पेज संख्या 68 आरबीजे 2009 पेज संख्या 312 के भी उद्धरण प्रस्तुत किये। इंतकाल एक फिसिकल प्रोसेडिंग है जिससे किसी प्रकार के अधिकार तैय नही होतें है। अपीलांट को अपने अधिकारों की घोषणा करवानी है तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकता है।*** अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही है, खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस सूनी पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट ने इंतकाल संख्या 784 दिनांक 11.05.2016 को निरस्त करने की इस्तदुआ की है। जबकि उक्त इंतकाल एक रजिस्टर्ड दानपत्र से दर्ज हुआ है। दानपत्र भी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का करवाया गया है। दानपत्र को बिना शुन्य घोषित करवाये अवैध नही कहा जा सकता ना ही दानपत्र के इंतकाल को निरस्त किया जा सकता है। जंहा तक अपीलांट का कथन है कि उसकी भूमि का दानपत्र गलत रूप से रूपाराम ने कृष्ण कुमार के पक्ष में करवाया है परन्तु यह जमाबन्दी से साबित नही। जमाबन्दी में रूपाराम के नाम से भूमि दर्ज है। फिर भी अगर जमाबन्दी में कोई गलत इन्द्राज है तो उसकी दुरूस्ती या अपीलांट अपने अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय से करवाये। इंतकाल को खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

करने से अपीलांट को कोई लाभ नही होगा। दानपत्र का इंतकाल खारिज होने पर दानपत्र में दर्ज भूमि खातेदार के नाम से ही वापिस जायेगी।

अपीलांट की अपील को स्वीकार योग्य नही समझतें है। अपीलांट अपने अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय से करवाने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)